भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *169
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस

***169. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :**
श्री इटेला राजेंदर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया है और उसे इस बात की जानकारी है कि विश्व स्तर पर उत्पादित लगभग एक तिहाई खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं तथा देश में अनेक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में फसल कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान से पता चलता है कि पूरे कृषि क्षेत्र में चिंताजनक रूप से भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

"खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दिवस" के संबंध में 11 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) इसके द्वारा आयोजित खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट के मापन तथा कमी संबंधी तकनीकी मंच (टीपीएफएलडब्ल्यू) के माध्यम सहित खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने, सामूहिक प्रयास करने और कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है । प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट जागरूकता संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट में कमी लाने के बारे में जागरूकता तथा समूहिक कार्य को बढ़ावा देना है।

सितंबर 2023 में, एफएओ ने भारत को खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट जागरूकता संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। रोम स्थित एजेंसियों में भारत के राजदूत और स्थाई प्रतिनिधि ने एफएओ में इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कृषि क्षेत्र में इस मामले को सुलझाने सहित खाद्य पदार्थों की बर्बादी और खाद्य अपशिष्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत की कोशिशों के बारे में बताया।

एफएओ के अनुसार, दुनिया भर में, वर्ष 2021 में फसल कटाई के बाद और खुदरा बिक्री केंद्र तक पहुँचने से पहले, लगभग 13 प्रतिशत खाद्य पदार्थ, जो 1.25 बिलियन टन के बराबर है, बर्बाद हुआ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद– केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सिफेट), 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैब्कोंस), 2022 द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, भारत में विभिन्न कृषि उत्पादों के फसल और फसलोत्तर नुकसान का अनुमानित प्रतिशत इस प्रकार है:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत नुकसान**	
	आईसीएआर-सिफेट अध्ययन (2015) के अनुसार	**नैब्कोंस अध्ययन (2022) के अनुसार**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61

रोपण फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
पॉल्ट्री	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तीन योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमताओं के सृजन और विस्तार में सहायता करता है, जिसमें खेत से खुदरा विक्रेताओं तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण, फसलोत्तर नुकसान को कम करना और मूल्य संवर्धन करना , किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसरों का सृजन, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना शामिल है। एमओएफपीआई द्वारा लागू की जा रही इन तीन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. केंद्रीय क्षेत्र योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई):

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में लागू की जा रही है । पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएं हैं (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना), (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का सृजन (एपीसी योजना), (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद) और (vi) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन (सीबीएफएल योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद)। एमओएफपीआई इन घटक योजनाओं के अंतर्गत , शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों अवसंरचना सुविधाओं के सृजन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता /सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शुरू से लेकर देश भर में कुल 1619 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 31 अक्टूबर, 2025 तक 1181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिससे प्रति वर्ष 269.61 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का सृजन हुआ है।

ii. केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय " "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना " के अंतर्गत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। यह सहायता संभावित उद्यमियों को एक जिला एक उत्पाद(ओडीओपी) सहित सभी उत्पादों के लिए दी जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चलेगी। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक , बैंकों को 3,86,686 आवेदन भेजे जा चुके हैं और इनमें से 1,62,744 ऋण मंज़ूर हो चुके हैं, जिनकी सावधि ऋण की राशि लगभग 13230 करोड़ रुपये है। 3,65,935 महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए 1244.95 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक पूंजी सहायता को स्वीकार किया गया है ।

iii. केंद्रीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई):

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का उद्देश्य , अन्य बातों के अलावा, वैश्विक विनिर्माण चैंपियन का सृजन करने में सहायता करना और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्राण्डों की सहायता करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल के समय के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। पीएलआईएसएफपीआई के तहत कुल 170 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें लाभार्थियों ने ₹9,032 करोड़ के निवेश और ₹2162.55 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी दी है। इस योजना से वर्ष 2026-27 तक 2.5 लाख के लक्ष्य की तुलना में 3.40 लाख से ज़्यादा रोज़गार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं और 35.14 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता का सृजन किया है।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने विभिन्न भागीदार संगठनों, खाद्य रिकवरी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को एकीकृत करके भारत की खाद्य बर्बादी और भूख संकट को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य साझाकरण गठबंधन (आईएफ़एसए) का गठन किया है। आईएफ़एसए का उद्देश्य उत्पन्न होने वाले अधिशेष खाद्य की पुन: प्राप्ति, उत्पन्न होने वाली खाद्य बर्बादी की मात्रा को कम करना और ज़रूरतमंदों को दान किए जाने वाले सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की मात्रा को बढ़ाना है । एफ़एसएसएआई ने भारत में खाद्य दान अभियान को बढ़ावा देने और खाद्य हानि और बर्बादी को रोकने के लिए "खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुन: प्राप्ति और वितरण) विनियमन, 2019" तैयार किया ।

****